ACM आमेर (प्र.) जयपुर

फर्द अहकाम

अफजल बनाम सरकार

न्यायालय

विशेष संख्या 57/24 TR

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	13/6/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उप. अप्रार्थी 2 ता 4 की ओर से जवाब प्रा०प० पेश हुआ। अप्रार्थी 5 ता 14 अनुपस्थित हैं। ट्री टैक्सीक बार एसोसिएशन द्वारा कन्वेन्शन किये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई। पत्रावली वास्ते जवाब प्रा० पत्र 15। व जवाब प्रा०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु दिनांक 19/6/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	19/6/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व०प० उपस्थित। प्रार्थना पत्र 15। व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना-पत्र पर बहस सुनी गई। प्रस्तुत तर्कों, दस्तावेजों एवं जवाब प्रार्थना-पत्र के आधार 15। सीपीसी आंशिक स्वीकार कर प्रा०पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 को विवादित आराजी पर मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा विवादित भू-भाग का बेचान नहीं करे उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा मूलवाद तक के निस्तारण तक प्रभावी रहेगी। विस्तृत निर्णय। [illegible] पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:41:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 57/2024 प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक– 26.07.2024

सूरजमल पुत्र चूनीलाल, उम्र 60 वर्ष, जाति अहीर, निवासी ग्राम दुर्गा का बास, तहसील जालसू, जिला जयपुर ग्रामीण (राज०)

.....प्रार्थी/वादी

बनाम

1. कजोड पुत्र चूनीलाल
2. कल्याण पुत्र रूडमल
3. बोदूराम पुत्र रूडमल,
4. सोनी देवी पत्नि चौथमल
   समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम दुर्गा का बास, तहसील जालसू, जिला जयपुर ग्रामीण (राज०)
5. लालाराम पुत्र रामचन्द्र
6. शंकरलाल पुत्र रामचन्द्र
   समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम दुर्गा का बास, तहसील जालसू, जिला जयपुर ग्रामीण (राज०)
7. रामप्यारी पत्नि रामू पुत्री रामचन्द्र, जाति अहीर, निवासी सींगड की ढाणी, जोबनेर, जिला जयपुर
8. केशरी देवी पत्नि रामू पुत्री रामचन्द्र, जाति अहीर, निवासी सींगड की ढाणी, जोबनेर, जिला जयपुर
9. गीता देवी पत्नि नानूराम पुत्री रामचन्द्र, जाति अहीर, निवासी सींगड की ढाणी, जोबनेर, जिला जयपुर
10. सुमन देवी पत्नी जीतेन्द्र यादव पुत्री गोपाल पुत्र रामचन्द्र।
11. ललिता देवी पत्नी विकास यादव पुत्री गोपालु पुत्र रामचन्द्र।
12. सुशीला देवी पत्नि राहुल पुत्री गोपाल पुत्र रामचन्द्र, समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम खेडी, करणसर, जिला जयपुर
13. राकेश पुत्र गोपाल पुत्र रामचन्द्र
14. मनभरी देवी पत्नि गोपाल पुत्र रामचन्द्र समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम दुर्गा का बास, तहसील जालसू, जिला जयपुर ग्रामीण (राज०)
15. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील जालसू, जिला–जयपुर।
16. उपपंजीयक, उपपंजीयन कार्यालय, जालसू, जिला–जयपुर।
17. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा चौमूं, जिला जयपुर
18. ओरीयन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, हाल परिवर्तित पंजाब नेशनल बैंक, जरिये शाखा प्रबन्धक, शाखा कालाडेरा, जिला जयपुर

.....अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:41:55 IST
Reason: SelfAttested

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 19.06.2025

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि वाके ग्राम दुर्गा का वास, पटवार हल्का दुर्गा का वास, तहसील जालसू, जिला जयपुर में भूमि स्थित है खाता संख्या नया 106 के खसरा नम्बर 397 रकबा 0.36, 398 रकबा 0.31, 399 रकबा 0.37, 400 रकबा 0.43, 401 रकबा 0.30, 402 रकबा 0.34, 449 रकबा 2.73, 450 रकबा 1.62, 451 रकबा 0.02, 452 रकबा 2.00 कुल किता 10 कुल रकबा 8.48 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 27 के खसरा नम्बर 201 रकबा 0.30, खसरा नम्बर 202 रकबा 0.21 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.51 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 133 के खसरा नम्बर 203 रकबा 0.72 हक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.72 हक्टेयर आराजीयात् ही प्रार्थना पत्र में विवादग्रस्त आराजीयात है जिसे की प्रार्थना पत्र के अग्रिम मदों में विवादग्रस्त आराजीयात् के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 में वर्णित विवादित आराजीयात् नया खाता संख्या 106 में प्रार्थी/वादी एवं अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 की संयुक्त कब्जेकाश्त की खातेदारी भूमि है उक्त भूमि का आज दिन तक भी विधिवत् रूप से किसी भी सक्षम अधिकारी एवं न्यायालय द्वारा तकासमा नहीं किया गया है उक्त विवादित आराजीयात् खाता संख्या 106 में प्रार्थी/वादी का हिस्सा 1/6 भाग, खाता संख्या 27 में प्रार्थी/वादी का हिस्सा 1/2 भाग, खाता संख्या 133 में प्रार्थी/वादी का हिस्सा 25/72 भाग निहित हैं, तथा शेष भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 तर 14 के कब्जे काश्त एवं मालिकाना अधिकारों की है, खातेदार रामचन्द्र पुत्र गणेश का स्वर्गवास होने पर उनके वारिसान् अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 14 है जिनको विधिक वारिसान् होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। उक्त विवादित आराजीयात् प्रार्थी/वादी एवं अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 की संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि है जिसका की आज दिन तक भी बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स तकासमा नहीं हुआ है तथा सभी खातेदार शामलाती रूप से विवादित आराजीयात पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर राज्य सरकार को लगान अदा करते चले आ रहे है। प्रार्थी/वादी विवादित आराजीयात् में निहित स्वयं के हिस्से पर अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं. 1 ता 14 के साथ संयुक्त रूप से काबिज काश्त है तथा संयुक्त रूप से ही कृषि कार्य कर निरन्तर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं तथा प्रार्थी/वादी राजस्व रिकार्ड में निहित अपने हिस्से अनुरूप लगातार राज्य सरकार को लगान अदा करता आ रहा है। प्रार्थी/वादी ने विवादित आराजीयात् के अन्य सहखातेदारों अर्थात् अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 से विवादित आराजीयात् का बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स विधिवत् रूप से तकासमा किये जाने बाबत् अनुरोध किया गया जिस पर अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 द्वारा प्रार्थी/वादी को शीघ्र तकासमा करवाने का आश्वासन देकर टालमटोल किया तथा प्रार्थी/वादी के अनेक मर्तबा तलब व तकाजा करने पर भी आज दिनांक तक भी बिना आराजीयात् का विधिवत् तकासमा नहीं करवाया गया। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा अप्रार्थीगण

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:41:55 IST
Reason: SelfAttested

को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया।

जवाब प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में अप्रार्थी संख्या 1 की ओर पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउण्टर टीआई पेश किया है जिसमें अंकित किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या अस्वीकार है, प्रार्थी ने उक्त उनवानी वाद पत्र झूठे तथ्यो के आधार पर पेश किया है, जिसमे प्रार्थी को सफलता मिलने की कोई आशा नही है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि राजस्व ग्राम दुर्गा का बास, पटवार हल्का दुर्गा का बास तहसील जालसू जिला जयपुर मे स्थित होना स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित तथ्य स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 मे वर्णित तथ्य स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 मे असत्य एंव अस्वीकार है, प्रार्थी/वादी ने अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 से कभी भी उक्त भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विधिवत रूप से तकारमा किये जाने का कोई अनुरोध नही किया, इसलिये प्रार्थी/वादी का यह कहना कि अप्रार्थीगण / प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 14 द्वारा उक्त भूमि का शीघ तकास्मा करवाने का आश्वासन देकर टालमटोल किया जा रहा है उक्त मद मे एकदम गलत अंकित किया है तथा प्रार्थी/वादी ने कभी भी उक्त भूमि का तकास्मा करवाने के लिये अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 14 से कोई तलब तकाजा नही किया गया। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 असत्य एंव अस्वीकार है, प्रार्थी/वादी द्वारा दिनांक 24.06.2024 को अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 14 से कोई सम्पर्क नही किया गया, इसलिये प्रार्थी/वादी का यह कहना कि दिनांक 24.06.2024 को अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 14 से उक्त भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विवादित आराजीयात का विधिवत् तकास्मा किये जाने बाबत् निवेदन करने पर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 14 उग्र हो गये तथा प्रार्थी/वादी को विवादित आराजीयात का विधिवत् तकास्मा करने से साफ इन्कार कर दिया एकदम गलत अंकित किया गया है तथा प्रार्थी/वादी ने उक्त मद में यह भी गलत अंकित किया है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 14 उक्त आराजीयात का बिना विधिक तकास्मा कराये बिना ही उक्त कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ अर्थात आवासीय भूखण्डो मे विभक्त करने, पुख्ता निर्माण कार्य करने, रोड वगै. डालने, भूखण्डो का बेचान हस्तानान्तरण करने की धमकी दी गई हो, जबकि सही बात तो यह है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 14 से प्रार्थी/वादी ने उक्त आराजीयात् का विधिवत तकारमा करवाने की कभी भी कोई बातचीत नहीं की। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 जवाब की मोहताज नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 ने माननीय न्यायालय के समक्ष काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर दिया है जो ठोस आधार पर पेश किया है जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 को सफलता मिलने की पूरी पूरी उम्मीद हैं। राजस्व ग्राम दुर्गाकाबास तहसील जालसू जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 106 के खसरा नम्बर 397 लगायत 402, 449 लगायत 452 कुल किता 10 कुल रकबा 8.48 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 27 के खसरा नम्बर 201, 202 कुल किता 2 कुल रकबा 0.51 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 133 के खसरा नम्बर 203 रकबा 0.72 हैक्टेयर स्थित हैं। काउन्टर क्लेम की मद संख्या 2 में वर्णित आराजीयात नया खाता संख्या 106 में

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:41:55 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या । एवं वादी व अन्य अप्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि है उक्त भूमि का आज दिन तक किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत तकासमा नही किया गया हैं। उक्त विबादित्त आराजीयात खाता संख्या 106 में अप्रार्थी संख्या 1/ काउन्टर क्लेमकर्ता का हिस्सा 1/6 भाग निहित हैं व खाता संख्या 27 में काउन्टर क्लेमकर्ता का हिस्सा 1/12 भाग निहित है तथा खाता संख्या 133 में काउन्टर क्लेमकर्ता का हिस्सा 25/72 भाग निहित है तथा शेष भूमि वादी व अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं मालिकाना अधिकारों की हैं। जिसका आज दिन तक बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा नहीं हुआ है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य सहखातेदार शामलाती रूप से नजरिये नक्शे के अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर राज्य सरकार को लग्गमन अदा करते आ रहे हैं। अप्रार्थी संख्या । द्वारा उपरोक्त वर्णित शामलाती आराजीयात में नजरिये नक्शे के अनुसार काबिज काश्त करता है जो निम्न प्रकार से है खसरा नम्बर 449 जो नजरिये नक्शे में पीले रंग से दर्शित हिस्से पर कब्जे काश्त हैं एवं खसरा नम्बर 449 के उत्तरी पूर्वी हिस्से में मकान बना रखा है जो पीले रंग से दर्शित है, जिसमें आने जाने हेतु रास्ता काम में लिया जा रहा हैं एवं खसरा नम्बर 203, 201, 202 पर नजरिये नक्शे में पीले रंग से दर्शित हिस्से पर काबिज काश्त हैं और उसी अनुसार उक्त आराजी का अप्रार्थी संख्या 1/ काउन्टर क्लेमकर्ता के पक्ष में तकासमा किया जाकर नक्शा व लगान अलग से कायम किया जावें। वादी ने अप्रार्थी संख्या 1/ काउन्टर क्लेमकर्ता को उक्त प्रस्तुत वाद की आड में दिनांक 10/12/2024 को एलानियां धमकी दी कि मैने न्यायालय में उक्त वाद प्रस्तुत कर दिया है और जो तुम्हारे कब्जे काश्त की भूमि है उसको हम लठ के जोर पर छुडवा देगें और तुम्हें बेदखल कर देगें, और तुम्हें कृषि कार्य नही करने देगें। जिससे अप्रार्थी संख्या 1 को वादकारण उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी हैं। अतः काउन्टर टी०आई० मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम दुर्गाकाबास तहसील जालसू जिला जयपुर में स्थित कृषि भूमि खाता संख्यां नया 106 के खसरा नम्बर 397 लगायत 402, 449 लगायत 452 कुल किता 10 कुल रकबा 8.48 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 27 के खसरा नम्बर 201, 202 कुल किता 2 कुल रकबा 0.51 हैक्टेयर एवं खाता संख्या नया 133 के खसरा नम्बर 203 रकबा 0.72 हैक्टेयर में अप्रार्थी संख्या 1 के हक व हिस्से की भूमि का संलग्न नजरिये नक्शे अनुसार (पीले रंग से दर्शित भूमि) में अप्रार्थी संख्या 1 के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करें, किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण कार्य नही करें, कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न नही करें, उक्त कृत्य न तो स्वयं करें ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट परिवार आदि से करवायें मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:41:55 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4, 6 एवं 14 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अंकित किया कि प्रार्थना पत्र संख्या में उल्लेखित प्रार्थना पत्र, प्रार्थी ने माननीय न्यायालय हाजा में अवश्य प्रस्तुत किया है परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र सर्वथा गलत, गैर कानूनी एंव विधि विरूद्ध तथ्यों पर आधारित होनें की वजह से उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जानें योग्य है जिसमें प्रार्थी को कत्तई सफलता नहीं मिल सकती। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

में सफलता की आशा रखना व्यर्थ एंव निरर्थक है। प्रार्थी की सफलता की आशा मृग तृष्णा की परिभाषा के अर्न्तगत आती हैं। प्रार्थना पत्र की मद नंबर 2 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, राजस्व रिकार्ड के अनुसार अंकित होने से स्वीकार हैं। परन्तु वादअधीन भूमि किसी प्रकार से वादग्रस्त भूमि नही हैं। अपितु प्रार्थी ने जानबूझकर अप्रार्थी को हैरान परेशान करने के लिए उक्त भूमि को वादग्रस्त बनाने की कुचेष्टा की हैं। जबकि मिन उत्तरदाता वाद अधीन भूमि का कब्जे काश्त के मध्य नजर विभाजन के लिए तत्पर व तैयार हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि प्रार्थी द्वारा भिन्न भिन्न खाते व पक्षकार के बावजूद उक्त वाद अधीन भूमि का एक ही वाद पेश किया है जबकि इस मद में वर्णित प्रार्थना पत्र अधीन भूमि के सारणी संख्या 3 व 4 से मिन उत्तरदाता का कोई सम्बध व सरोकार नही है। प्रार्थना पत्र की मद नंबर 3 जिस प्रकार से वर्णित किया गया है, आंशिक स्वीकार हैं। वादअधीन भूमि वर्तमान राजस्व रिकोर्ड के अनुसार संयुक्त खाते में दर्ज अंकित है परन्तु मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण द्वारा खाता संख्या 106 का आपसी सहमति के आधार पर मनबंट कर अपने अपने हिस्से की भूमि पर मकान बोरिंग, होद बनाकर आराजी का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। चूंकि प्रार्थी व अप्रार्थीगण द्वारा वाद अधीन भूमि का जो आपसी सहमति से विभाजन कर रखा है वह बकायदा मिटस एण्ड बाउण्डस के मध्य नजर ही रास्ते पर हिस्सेनुसार फन्ट देकर कर रखा है। यदि कब्जे काश्त के मध्यनजर विभाजन किया जाता है तो उत्तरदाता को कोई आपत्ति नही है। प्रार्थी ने वाद अधीन भूमि में कब्जा प्राप्त करने के सम्बंध में अनुतोष चाहा है जो पूर्णत विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज हैं।

प्रतिवादी / अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से एक प्रार्थना पत्र 151 पेश कर कथन किया कि उक्त वादी / प्रार्थी द्वारा एक दावा बाबत् तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया हुआ है, जिसमे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मे उक्त दावा मे विवादीत खसरा नंबरान की भूमि के मौका एंव रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने की अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी की हुई है। प्रतिवादी / अप्रार्थी संख्या 6 शंकरलाल पुत्र रामचन्द्र द्वारा अपने रिहायश हेतू उक्त दावा मे वर्णित खसरा नंबरान की भूमि मे से खसरा नंबर 397 की भूमि में मकान बना रखा है, प्रतिवादी / अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा अपने पुत्र / पुत्रीयो का विवाह करना चाहता है, जिसके लिये प्रतिवादी / अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा अपने उक्त रिहायसी मकान की मरम्मत का कार्य करवा रहा है तथा उक्त मकान के लगवा ही शौचालय का निर्माण करवा रहा है। प्रतिवादी / अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा दिनांक 13.03.2025 को अपने उक्त मकान की मरम्मत एंव शौचालय का निर्माण कार्य करवा रहा था, तो वादी ने प्रतिवादी / अप्रार्थी संख्या 6 को उक्त कार्य करने से रोकने के लिये पुलिस को सूचना दे दी गई जिस पर पुलिस थाना कालाडेरा जिला जयपुर ने मौके पर आकर प्रतिवादी / अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा अपने मकान की मरम्मत एंव शौचालय निर्माण को माननीय द्वारा पारित स्थगन आदेश के आधार पर रूकवा दिया गया। प्रतिवादी / अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा किसी भी प्रकार का नया निर्माण नही किया जा रहा है, केवल मात्र अपने पुराने मकान की मरम्मत कार्य एंव मकान के लगवा ही शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा है, इस प्रकार

सहायक कलक्टर
आमेर म. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:41:55 IST
Reason: SelfAttested

माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश की किसी भी प्रकार से अवहेलना नही की जा रही है, क्योकि प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 6 का मकान काफी पुराना होने के कारण जीर्णशीर्ण अवस्था मे है इसलिये उक्त मकान की मरम्मत किया जाना आवश्यक है तथा शौचालय के अभाव मे प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 6 की परिवार की बहु बेटियो को शौच के लिये खुल मे जाना पडता है, जिसके कारण उनके साथ कभी भी कोई अनहोनी घटना कारित हो सकती है, तथा शौचालय आज के समय मे हर व्यक्ति की एक मूलभूत आवश्यकता है, इसलिये प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा किये जा रहे मकान के मरम्मत कार्य एंव शौचालय निर्माण की स्वीकृति दी जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 6 प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 6 को अपने रिहायसी मकान की मरम्मत करवाने एंव शौचालय निर्माण की इजाजत प्रदान किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

उभयपक्षीय विद्वान अधिवक्तागण की प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात् व उभयपक्षीय बहस का अवलोकन व मनन किया। सुसंगत न्यायिक प्रावधानों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसमें प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू को देखा जाना है। मूल वाद तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है परन्तु यहां स्पष्ट करना आवश्यक है कि उक्त आराजी उभयपक्ष के स्वामित्व की खातेदारी भूमि है। सभी सहखातेदार है, अप्रार्थीगण जबरन बिना विभाजन बेचान एवं निर्माण कार्य करने पर उतारू है। यदि अप्रार्थीगण को पाबंद नहीं किया गया तो वाद का उद्वेश्य ही समाप्त हो जावेगा।

चूकि प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 6 शंकरलाल पुत्र रामचन्द्र द्वारा अपने रहवास हेतू उक्त दावा मे वर्णित खसरा नंबरान की भूमि मे से खसरा नंबर 397 की भूमि में मकान बना रखा है, प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा अपने पुत्र/पुत्रीयो का विवाह करना चाहता है, जिसके लिये प्रतिवादी/अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा अपने उक्त मकान की मरम्मत का कार्य करवा रहा है तथा उक्त मकान के लगवा ही शौचालय का निर्माण करवा रहा है। चूकि अप्रार्थी ने जाहिर किया की प्रार्थी का मकान जो वर्तमान में क्षतिग्रस्त (अच्छी अवस्था में नही है) हो गया है चूकि प्रार्थी रहने हेतू मकान की मरम्मत एवं शोचालय का निर्माण कर रहा है जो कि आमजन के लिए आवश्यक है अतः प्रार्थाना पत्र आदेश धारा 151 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

प्रस्तुत तर्को, दस्तावेजो एवं प्रार्थना पत्र [illegible] के आधार पर प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। यदि अप्रार्थीगण [illegible] की भूमि पर निर्माण एवं बेचान करते हैं तो प्रार्थी को अनावश्यक मुकदमेबाजी [illegible] पडेगा। जिससे सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तथ्य भी प्रार्थी के पक्ष में साबित है। अप्रार्थी 1 ने भी प्रार्थी पर यही आरोपित तथ्य काउण्टर टीआई में पेश किये है अतः विवादित आराजी के संरक्षण के लिए अस्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:41:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

निषेधाज्ञा जारी करना उचित प्रतीत होता है। प्रथम दृष्टया मामला एवं केस प्रार्थी ने बखूब साबित किया है। यद्यपि मूलवाद का निस्तारण उभपक्षकारान को विस्तृत रूप से सुना जाकर तथा साक्ष्यों के दृष्टिगत किया जाना है जो कि हस्तगत प्रार्थना पत्र के हाल निर्णय से किसी भी रूप में तथा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है, परन्तु प्रस्तुत तथ्यों, तर्कों व दस्तावेजो के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया तथ्यों के दृष्टिगत मात्र प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम ग्राम दुर्गा का बास, पटवार हल्का दुर्गा का बास, तहसील जालसू, जिला जयपुर में भूमि स्थित है खाता संख्या नया 106 के खसरा नम्बर 397 रकबा 0.36, 398 रकबा 0.31, 399 रकबा 0.37, 400 रकबा 0.43, 401 रकबा 0.30, 402 रकबा 0.34, 449 रकबा 2.73, 450 रकबा 1.62, 451 रकबा 0.02, 452 रकबा 2.00 कुल किता 10 कुल रकबा 8.48 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 27 के खसरा नम्बर 201 रकबा 0.30, खसरा नम्बर 202 रकबा 0.21 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.51 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 133 के खसरा नम्बर 203 रकबा 0.72 हक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 0.72 हक्टेयर मौके की यथास्थिति बनाये रखे तथा विशिष्ट भू–भाग का बेचान नही करे। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश अप्रार्थी संख्या 6 के रहने हेतू मकान की मरम्मत एवं शोचालय का निर्माण करने पर लागू नहीं होगा।

प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 11:41:55 IST
Reason: SelfAttested